डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
Department of Divyangjan Empowerment
Government of Uttar Pradesh

प्रेषक,

वित्त अधिकारी
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

सेवा में,

1. **कुलपति / अध्यक्ष**
   डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. **अपर मुख्य सचिव**
   दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
   उत्तर प्रदेश शासन।
3. **अपर मुख्य सचिव,**
   वित्त विभाग,
   उत्तर प्रदेश शासन।
4. **अपर मुख्य सचिव,**
   उच्च शिक्षा विभाग
   उत्तर प्रदेश शासन।
5. **निदेशक,**
   दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ
   सदस्य कार्य परिषद।
6. **कुलसचिव**
   डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. **वित्त अधिकारी**
   डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांक: २१२२ **/ पत्रा.सं.–57 / बै0वि0समिति / 2019–20 लखनऊ** **दिनांक** ३० **दिसम्बर, 2019**

विषयः डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की वित्त समिति की बीसवीं बैठक दिनांक 04.12.2019 के कार्यवृत्त प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की **वित्त समिति की** दिनांक 04.12.2019 को सम्पन्न **बीसवीं बैठक** के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय
30.XII.19
(रामदेव सिंह)
वित्त अधिकारी

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

के वित्त समिति की
बीसवीं बैठक दिनाँकः 04 दिसम्बर, 2019 का कार्यवृत्त

समय –	अपराह्नः 3:00 बजे
स्थान –	पंचम तल स्थित सभागार डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 20वीं बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति, विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही।

बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

एजेण्डा बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/20	**दिनांक 01.07.2019 को सम्पन्न वित्त समिति की उन्नीसवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।**
	निर्णयः– वित्त समिति द्वारा दिनांक 01.07.2019 को सम्पन्न हुई 19वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/20	**दिनांक 01.07.19 को सम्पन्न वित्त समिति की उन्नीसवीं बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या।**
	वित्त समिति द्वारा दिनांक 01.07.2019 को सम्पन्न 19वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर निर्देश प्रदान किये गयेः– **<u>बिन्दु सं0–5/19 प्रस्ताव A</u>** – कुलसचिव एवं अन्य की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव के अन्तर्गत बिन्दु सं0–5/19 के प्रस्ताव A के बिन्दु सं0–1 पर विश्वविद्यालय में सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से जनशक्ति की सेवाएं लिये जाने संबंधी प्रस्ताव के विषय में कुलसचिव, विश्वविद्यालय द्वारा वित्त समिति को अवगत कराया गया कि नवीन सेवा प्रदाता एजेन्सी का चयन न होने के कारण वित्त समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर भुगतान की कार्यवाही सम्भव नही हो पा रही है। इसी के दृष्टिगत कुलसचिव, विश्वविद्यालय द्वारा उक्त प्रस्ताव को स्थगित रखने का सुझाव दिया गया, जिस पर वित्त समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

(रामदेव सिंह)
वित्त अधिकारी
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ

	बिन्दु सं0–6/19(1) – अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु के अन्तर्गत बिन्दु सं0–6/19(1) पर प्रस्तुत प्रस्ताव विश्वविद्यालय के समस्त शुल्क यथा–प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क तथा सेमेस्टर शुल्क आदि को आनलाइन जमा किये जाने की व्यवस्था कराने हेतु मा0 कुलपति महोदय द्वारा साफ्टवेयर तैयार कराकर तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। **बिन्दु सं0–6/19(2)** – अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु के अन्तर्गत बिन्दु सं0–6/19(2) पर प्रस्तुत प्रस्ताव अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा में लैंग्वेज लैब की स्थापना किये जाने संबधी प्रस्ताव पर मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्रगति आख्या पर पृच्छा की गयी तथा कुलसचिव विश्वविद्यालय को अग्रेंजी एवं अन्य विदेशी भाषा के साथ–साथ अन्य विभागों के लिए भी लैंग्वेज लैब की स्थापना कराने हेतु विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मा0 कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किए गए।
3/20	**वित्तीय वर्ष 2018–19 में विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण आय पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।** वित्त समिति को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण आय धनराशि रू0 1733.23 लाख थी, जिसके सापेक्ष विश्वविद्यालय के क्रिया–कलापों के संचालन में विश्वविद्यालय के निजी स्रोतों से धनराशि रू0 605.09 लाख व्यय हुई है। इस प्रकार विश्वविद्यालय की वित्तीय वर्ष 2018–19 की शुद्ध प्राप्तियाँ/आय धनराशि रू0 1128.14 लाख है। **निर्णयः–** वित्त समिति वित्तीय वर्ष 2018–19 में विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण आय एवं उसके सापेक्ष किये गये व्ययों से अवगत हुई।
4/20	**वित्तीय वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमान के अनुमोदन के सम्बन्ध में।** वित्त समिति को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु वेतन मद में धनराशि रू0 2000.00 लाख, पुनरीक्षित वेतन का अवशेष मद में धनराशि रू0 500.00 लाख, गैर वेतन मद में धनराशि रू0 935.00 लाख तथा निजी स्रोतों से प्राप्तियों के सापेक्ष किए जाने वाले व्ययों के अन्तर्गत धनराशि रू0 607.00 लाख तथा बी0टेक0 पाठ्यक्रम हेतु धनराशि रू0 360.00 लाख के आय–व्ययक अनुमान पर वित्त समिति की उन्नीसवीं बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया था। किन्तु कतिपय मदों में अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष लंबित भुगतान/अधिक व्यय किए जाने के दृष्टिगत उक्त मदों में अनुमोदित धनराशि को पुनरीक्षित किये जाने एवं जिन मदों में अनुमोदित धनराशि से अधिक व्यय किया गया उक्त मदों में वित्त समिति से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है। **निर्णयः–** वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु पुनरीक्षित वेतन का अवशेष मद एवं निजी स्रोतों से प्राप्तियों के सापेक्ष किये जाने वाले व्ययों के अन्तर्गत तैयार किये गये पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमान पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा जिन मदों में अनुमोदित धनराशि से अधिक व्यय किये गये थे, उक्त मदों में अधिक व्यय की गयी धनराशि पर वित्त समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयीं जिसका विवरण परिशिष्ट क एवं ख के रूप में रक्षित है।

(रामदेव सिंह)
वित्त अधिकारी
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो0 आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

5/20	**वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु विश्वविद्यालय प्रयोगार्थ वेतन एवं गैर वेतन की मदों में उ0प्र0 शासन से की गयी मॉग पर अनुमोदन के संबंध में।** वित्त समिति के सदस्यों को कुलसचिव, विश्वविद्यालय एवं संयुक्त सचिव,दिव्यांगजन सस्क्तीकरण विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि सृजित पदों के सापेक्ष बजट की मॉग की जानी चाहिए, जिस पर वित्त अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत जनशक्ति के आधार पर तथा उस पर प्रतिवर्ष वेतनवृद्धि, मॅहगाई भत्ता तथा बोनस आदि की धनराशि को आवृत्त करते हुए बजट की मांग वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देश के संदर्भ का उल्लेख करते हुए बजट की मांग को उचित बताया गया। साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष में विश्वविद्यालय में सृजित पदों के सापेक्ष जनशक्ति वृद्धि होने पर अनुपूरक बजट के माध्यम से बजट की मांग किये जाने का सुझाव दिया गया। **निर्णयः**–वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु उ0प्र0 शासन से वेतन एवं गैर वेतन की मद में की गयी अनुदान की मॉग से वित्त समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।
6/20	**कुलसचिव की ओर से प्रस्तावित प्रस्ताव**
	1. विश्वविद्यालय में अतिरिक्त एकेडमिक ब्लाक की आवश्यकता के सम्बन्ध में। कुलसचिव, विश्वविद्यालय द्वारा वित्त समिति को अवगत कराया गया कि आगामी शैक्षिक सत्र से समस्त अक्रियाशील विभागों को संचालित किया जाना प्रस्तावित हैं। इसी के दृष्टिगत नवीन शैक्षणिक भवन के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा धनराशि रू0 9022.22 लाख का आगणन उपलब्ध कराया गया है। **निर्णयः**–वित्त समिति द्वारा अतिरिक्त एकेडमिक ब्लाक के निर्माण संबंधी प्रस्ताव पर प्रशासनिक स्वीकति प्राप्त कर आगामी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। प्रस्तुत प्रस्ताव में संलग्नक नही थे, जिन्हें साथ में प्रस्तुत करने का समिति द्वारा सुझाव दिया गया। **2. विश्वविद्यालय की रिक्त भूमि पर बाउण्ड्रीवाल निर्माण के संबध में।** कुलसचिव, विश्वविद्यालय द्वारा वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय प्रयोगार्थ ग्राम–अलीनगर सुनहरा,परगना–बिजनौर तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ में विश्वविद्यालय की 5.768 हेक्टेयर भूमि पर बाउण्ड्रीवाल एवं गेट स्थापित कराया जाना अति आवश्यक है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय की कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा धनराशि रू0 445.74 लाख का आगणन उपलब्ध कराया गया है। **निर्णयः**– वित्त समिति द्वारा रिक्त भूमि पर बाउण्ड्रीवाल निर्माण संबंधी प्रस्ताव पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर आगामी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। प्रस्तुत प्रस्ताव में संलग्नक नही थे, जिन्हें साथ में प्रस्तुत करने का समिति द्वारा सुझाव दिया गया। **3. विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों की मरम्मत किए जाने के संबध में।** **निर्णयः**– वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों की मरम्मत संबंधी प्रस्ताव पर

(रामदेव सिंह)
वित्त अधिकारी
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

अनुमोदन प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय के निजी स्रोतों से नियमानुसार व्यय किए जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

4. विश्वविद्यालय में टाइप–3 एवं टाइप–1 के मध्य बाउण्ड्रीवाल कराये जाने के संबंध में।

कुलसचिव, विश्वविद्यालय द्वारा वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में टाइप–3 एवं टाइप–1 के मध्य बाउण्ड्रीवाल का कार्य कराये जाने पर अनुमानित धनराशि रू0 15–20 लाख का व्ययभार आने की संभावना है।

निर्णयः–वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के टाइप–3 एवं टाइप–1 आवासों के मध्य बाउण्ड्रीवाल के निर्माण संबंधी कार्य संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय के निजी स्रोतों से नियमानुसार व्यय किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

5. विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में अधिकारियों हेतु आवास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कुलसचिव, विश्वविद्यालय द्वारा वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में कुलपति आवास, कुलसचिव आवास तथा टाइप–5, टाइप–4, टाइप–3 एवं टाइप–1 आवास निर्मित हैं, किन्तु प्रशासनिक संवर्ग के अन्य अधिकारियों हेतु कोई भी आवास निर्मित नहीं है जिससे उक्त अधिकारियों को अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में प्रशासनिक संवर्ग के अधिकारियों के आवास के निर्माण हेतु अनुमानित धनराशि रू0 100.00 लाख का व्ययभार आने की संभावना है।

निर्णयः– वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में अधिकारियों के आवासो का निर्माण कार्य कराने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय के निजी स्रोतों से नियमानुसार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

6. विश्वविद्यालय में दुकानों का आवंटन किए जाने के संबध में नीति निर्धारण।

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय शहर से दूर स्थित है जिससे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी विशेषकर दिव्यांग विद्यार्थियों को आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के एमेनिटीज ब्लाक–1 में निश्चित स्थान पर स्थापित विभिन्न स्टालों (दुकान) को किराये पर दिये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णयः– वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में दुकानों का आवंटन जिलाधिकारी सर्किल रेट पर किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

7. विश्वविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा जमा किये गये विभिन्न मदों में शुल्क के सम्बन्ध में।

कुलसचिव, विश्वविद्यालय द्वारा वित्त समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों से परीक्षा शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि को परीक्षा नियंत्रक एवं कुलसचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित परीक्षा खाते में

(रामदेव सिंह)
वित्त अधिकारी
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ

अन्तरित किये जाने हेतु तथा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों से छात्र कल्याण कोष, पुस्तकालय शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क तथा क्रीड़ा शुल्क आदि का लेखांकन पृथक–पृथक रखने का प्रस्ताव दिया गया।

उक्त के क्रम में वित्त समिति को अवगत कराया गया कि लेखानुभाग द्वारा छात्र कल्याण कोष, पुस्तकालय शुल्क तथा क्रीड़ा शुल्क आदि का लेखांकन अलग–अलग मदों में किया जाता है तथा वित्त अधिकारी द्वारा इस पर असहमति व्यक्त की गयी कि एक ही विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिकारियों द्वारा संचालित खातों को संचालन किया जाना उचित नही है इससे लेखांकन, परीक्षण एवं मिलान में असुविधा होगी।

निर्णयः– वित्त समिति द्वारा विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि को परीक्षा खाते में अन्तरित किये जाने संबंधी उपरोक्त प्रस्ताव पर अन्य विश्वविद्यालयों में लागू व्यवस्था को पता करने के उपरान्त कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया।

8. विद्यार्थियों को दी जाने वाली डिग्री, अंकतालिका एवं परीक्षा संबंधित अन्य प्रपत्रों को डाक के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

कुलसचिव, विश्वविद्यालय द्वारा वित्त समिति को अवगत कराया गया कि परीक्षा समिति की 5वीं बैठक जो दिनांक 23.11.19 को आहूत की गयी थी, में विश्वविद्यालय से विद्यार्थियों को दी जाने वाली डिग्री, अंकतालिका आदि प्रपत्रों को विद्यार्थियों द्वारा डाक के माध्यम से प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उससे राष्ट्रीय स्तर पर शुल्क रू0 300.00 तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शुल्क रू0 500.00 बैंक चालान या बैंक ड्राफट के माध्यम से प्राप्त किये जाने हेतु परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति से अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णयः– वित्त समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

9. परीक्षा के दौरान परीक्षा की व्यवस्था में लगे हुए अधिकारियों, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को प्रति पाली मानदेय निर्धारण के संबंध में।

निर्णयः–वित्त समिति द्वारा उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–176/सत्तर–1–2019–15 (32)/81दिनांक 09 मार्च 2019 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार सम्पूर्ण परीक्षा के लिए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों हेतु निर्धारित दर धनराशि रू0 15.00 (प्रति विद्यार्थी की दर से) लागू किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

10. परीक्षा में कक्ष निरीक्षक के रूप में गेस्ट लेक्चरर द्वारा की जाने वाली ड्यूटी हेतु मानदेय धनराशि रू0 175/–प्रति घण्टा (गैर–शैक्षिक कार्य हेतु) दिये जाने के सम्बन्ध में।

कुलसचिव, विश्वविद्यालय द्वारा वित्त समिति को अवगत कराया गया कि परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को गैर अध्यापन कार्य के लिए अनुमोदित धनराशि रू0 175.00 प्रति घण्टे की दर से भुगतान किये जाने पर सहमति प्रदान करते हुए उक्त प्रस्ताव को वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

निर्णयः– वित्त समिति द्वारा कक्ष निरीक्षक के रूप में लगे अतिथि व्याख्याताओं को गैर अध्यापन कार्य हेतु मानदेय के रूप में धनराशि रू0 175.00 प्रति घण्टे की दर से

(रामदेव सिंह)
वित्त अधिकारी
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

	नियमानुसार भुगतान किये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए निर्देश प्रदान किये गये कि उक्त भुगतान संबंधित विभाग के माध्यम से प्रस्तावित किया जाएगा एवं परीक्षा विभाग से अलग से कोई भुगतान नही किया जाएगा।

11. **मिड सेमेस्टर टेस्ट/मौखिकी/प्रायोगिक परीक्षा तथा पूर्व में आयोजित सत्रान्त परीक्षाओं में अनुपस्थिति एवं अनुत्तीर्ण विषयों/पेपरों में स्पेशल बैक पेपर परीक्षा कराये जाने के संबंध में।**

कुलसचिव विश्वविद्यालय द्वारा वित्त समिति को अवगत कराया गया कि परीक्षा समिति द्वारा स्पेशल बैक पेपर परीक्षा के सम्बन्ध में निम्नवत् शुल्क निर्धारित किया गया है–

1–थ्योरी पेपर हेतु रू0 500.00 प्रति प्रश्न–पत्र

2–प्रायोगिक परीक्षा (आन्तरिक एवं वाह्य):– रू0 1000.00 प्रति प्रश्न–पत्र

3–आंतरिक परीक्षा (मिड सेमेस्टर/प्रोजेक्ट/प्रजेंटेशन/मौखिकी):–रू0 250.00 प्रतिप्रश्न–पत्र

निर्णयः–वित्त समिति द्वारा स्पेशल बैक पेपर परीक्षा के संबंध में परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित विभिन्न शुल्कों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

12. सेमेस्टर/बैक पेपर परीक्षा दिसम्बर, 2019 हेतु अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

कुलसचिव, विश्वविद्यालय द्वारा वित्त समिति को अवगत कराया गया कि परीक्षा समिति द्वारा माह दिसम्बर 2019 की परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु तात्कालिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत अग्रिम के रूप में धनराशि रू0 4.00 लाख का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है कि पूर्व में परीक्षा कार्यों हेतु निर्गत अग्रिम धनराशि रू0 3.00 लाख का समायोजन दिसम्बर 2019 की परीक्षा से पूर्व कर दिया जाए।

निर्णयः– वित्त समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

13. विद्यार्थियों को अंक तालिका/उपाधि की द्वितीय प्रति उपलब्ध कराने तथा शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णयः– वित्त समिति द्वारा अंक तालिका/उपाधि की द्वितीय प्रति उपलब्ध कराने हेतु परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क धनराशि रू0 1000.00 पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

14. **अंक–पत्र/उपाधि के सत्यापन हेतु सरकारी संस्थाओं एवं राज्य बी0सी0आई0 को सत्यापन शुल्क में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

निर्णयः– वित्त समिति द्वारा अंक–पत्र/उपाधि के सत्यापन हेतु शुल्क निर्धारण के संबंध में निम्नवत् निर्णय प्रदान किए गए :–

क– सरकारी संस्थाओं/विभागों/संगठनों को सत्यापन शुल्क से मुक्त रखने के

(रामदेव सिंह)
वित्त अधिकारी
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो0 आर0के0पी0 सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

	निर्देश प्रदान किए गए। ख– गैर सरकारी/अन्य संस्थानों से अंक–पत्र/उपाधि के सत्यापन शुल्क के रूप में धनराशि रू0 500.00 शुल्क निर्धारण पर सहमति प्रदान की गयी।
	15. अंक–तालिका/उपाधियों का प्रारूप निर्धारित करते हुये अंक–तालिका/उपाधियों को विश्वविद्यालय में मुद्रित किये जाने के सम्बन्ध में। कुलसचिव, विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में अंक–तालिका/उपाधियों का एक प्रारूप निर्धारित करते हुए सुरक्षा की दृष्टि से Sl. No./QR/BAR Code/Special Paper इत्यादि हेतु मशीनों के कय किए जाने तथा विश्वविद्यालय में अंकतालिका/उपाधियों के मुद्रण करने हेतु रू0 2.00 लाख की धनराशि की व्यवस्था परीक्षा विभाग के लिए किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।
	निर्णयः– वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय के निजी स्रोतों से नियमानुसार व्यय किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
	16. विश्वविद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में। कुलसचिव, विश्वविद्यालय द्वारा वित्त समिति को अवगत कराया गया कि मा0 सामान्य परिषद की षष्ठम बैठक में उ0प्र0 के बाहर के ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय के छात्रावास में निवासरत है,को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास एवं भोजन की सुविधा अनुमन्य कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। इसी प्रकार स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम–बी0टेक0 एवं बी0बी0ए0 के अर्न्तगत अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन, छात्रावास एवं शिक्षा की सुविधा अनुमन्य कराये जाने का प्रस्ताव है।
	निर्णयः– वित्त समिति उपर्युक्त प्रस्ताव से संज्ञानित हुई।
	17. विश्वविद्यालय में दिव्यांगों के सहयोगार्थ प्रूफ रीडर के पद के सृजन किये जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णय :– वित्त समिति विश्वविद्यालय में दिव्यांगों के सहयोगार्थ 09 प्रूफरीडरों के पद सृजन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव से संज्ञानित हुई।
	18. विश्वविद्यालय में कार्यरत दिव्यांग शिक्षक एवं कर्मचारीगण को पुनरीक्षित दरों के अनुसार वाहन भत्ता प्रतिमाह दिये जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः वित्त समिति द्वारा वित्त(सामान्य) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के निर्गत शासनादेश सं0–06/2019/जी–2–531/दस/2019 दिनांक 22.08.19 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही किंये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(रामदेव सिंह)
वित्त अधिकारी
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

	19. विश्वविद्यालय में ब्रेल प्रेस की स्थापना के सम्बंध में।
	निर्णयः वित्त समिति द्वारा ब्रेल प्रेस की स्थापना के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
	20. केन्द्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध कराये जाने वाले संसाधनों के संबंध में।
	निर्णयः वित्त समिति द्वारा केन्द्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध कराये जाने वाले संशाधनों के संबंध में बिन्दुवार निम्नवत् निर्णय लिये गयेः– **बिन्दु सं0–1. (सुरक्षा संबंधी)** – उक्त प्रस्ताव पर आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदा के माध्यम से कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। **बिन्दु सं0–2. (आवश्यक मानव संसाधन)** – उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित आवश्यक मानव संशाधन की पूर्ति हेतु स्वीकृत मानव श्रम शक्ति के अन्तर्गत कुलसचिव के स्तर से कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। **बिन्दु सं0–3. (पुस्तकें/जर्नल्स/शोध पत्रिकाओं एवं अन्य तकनीकी संसाधन)**– उक्त प्रस्ताव को वित्त समिति द्वारा स्थगित रखते हुए पृथक से कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
	21. विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः वित्त समिति द्वारा विभिन्न विभागों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक शैक्षिक सत्र हेतु अग्रिम के रूप में धनराशि रू0 20000.00 पर इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि आतिथ्य व्यय,जलपान,सूक्ष्म जलपान भोजन व्यय आदि मदों में कोई भी धनराशि व्यय नहीं की जाएगी। इसके लिए कुलसचिव, विश्वविद्यालय के स्तर से पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे। प्रथम चरण में अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी गयी 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 10000.00 का समायोजन कराने के पश्चात ही अवशेष अग्रिम धनराशि रू0 10000.00 उपलब्ध करायी जाएगी।

अन्त में वित्त समिति की बैठक का समापन सधन्यवाद किया गया।

(रामदेव सिंह)
वित्त अधिकारी
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ